



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

सेवा में,

पत्रांक : 731

राँची : 17.7.2023

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची।
वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, गुमला।

- विषय :- मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साईट खनन हेतु 7.52 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।
- प्रसंग :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला का पत्रांक 1955 दिनांक 23.11.2022, पत्रांक 1010 दिनांक 18.05.2023 एवं पत्रांक 1223 दिनांक 23.06.2023

महाशय,

उल्लेखनीय है कि Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications) 2019 के पारा 7.9 के अनुसार "All mining projects, including cluster-mines, are required to have a 7.5-meter-wide peripheral safety zone within the Mining Lease area, properly demarcated with boundary pillars with DGPS coordinates inscribed on them and to be maintained as effective green belt. This shall be applicable prospectively to all fresh diversion proposals approved after 27th May 2015."

मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साईट खनन हेतु 7.52 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव में safety zone का mining plan, component wise breakup, layout plan etc. कही भी उल्लेख नहीं किया गया है।

अतः विषयक वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में सेप्टीजोन एरिया (सुरक्षा क्षेत्र) को सम्मिलित करते हुए संशोधित प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता है। तदनुसार आवश्यक कार्यवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।



विश्वासभाजन,

17.07.2023
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

कार्यालय वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला
आपांक -1450 दिनांक 18/7/23
प्रतिलिपि- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित

for वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, गुमला

19/07/23